अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

आर0एम0ए0 वाद सं0–27/2011–12

अरूण कुमार सिन्हा, पिता–मनमोहन प्रसाद, ग्राम–बाबूपुर, थाना–सरैयाहाट, जिला–दुमका।

–बनाम्–

मो0 सकीना बीबी पति–रूस्तम शेख वर्तमान पता– ग्राम–पथरा, थाना–सरैयाहाट, जिला–दुमका एवं अन्य।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
07.10.2023	**आदेश** प्रस्तुत आर0एम0ए0 वाद सं0–27/2011–12 अरूण कुमार सिन्हा, पिता–मनमोहन प्रसाद ग्राम–बाबूपुर, थाना–सरैयाहाट, जिला–दुमका, वर्तमान पता–नयापाड़ा, दुमका के द्वारा मो0 अजीज हेडमास्टर उर्दू मध्य विद्यालय, पथरा वर्तमान पता– ग्राम–पथरा, थाना–सरैयाहाट, जिला–दुमका के मृत्यू के पश्चात् वर्तमान में मो0 सकीना बीबी पति–रूस्तम शेख वर्तमान पता– ग्राम–पथरा, थाना–सरैयाहाट, जिला–दुमका एवं अन्य के विरूद्ध तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 केस सं0–54/2006–07 में पारित आदेश, दिनांक–24.01.2008 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन एवं समर्पित लिखित बहस में वर्णित किया गया है कि वे मौजा बाबूपुर के जमाबन्दी रैयत है और वर्तमान में दुमका में रहते है। बाबूपुर के पड़ोसी गाँव पथरा के जमाबन्दी नं0–15 उनके पिता स्व0 मनमोहन प्रसाद एवं अन्य रिश्तेदार के नाम पर है। प्रतिवादी बाहरी व्यक्ति है और पथरा उर्दू मध्य विद्यालय में हेड मास्टर के रूप में पदस्थापित हैं। उनके द्वारा याचिकाकर्त्ता के अनुपस्थिति में अवैध रूप से उक्त प्लॉट के एक हिस्से पर अपना घर का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रार्थी द्वारा इसका विरोध किया गया तो प्रार्थी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। सेवा निवृति के पश्चात् मो0 अजीज के द्वारा मो0 शेख की बेटी सकीना बीबी को घर बेच दिया गया जो बनियारा गाँव के रूस्तम शेख की पत्नी है और यहाँ रहती है। प्लॉट सं0–216 पर साईकिल रिपेयरिंग एवं अन्य सामग्रियों का दुकान खोलकर अतिक्रमण कर भूमि के कृषि स्वरूप को नष्ट कर दिया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा समर्पित लिखित बहस में यह भी वर्णित किया गया है कि वर्तमान में चल रहे बन्दोबस्त प्लॉट सं0–**216** को फिर से प्लॉट सं0–700, 701, 702, 703, 704, 690, 691, 692, 705 एवं 706 एवं प्लॉट सं0–**229** को 665, 666, 667 एवं 673 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है और इस प्रकार प्लॉट नं0–260 को 283, 285 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है। गैंजर सेटेलमेन्ट के जमाबन्दी नं0–15 से बनाया गया है, जो याचिकाकर्त्ता के पिता और अन्य के नाम पर दर्ज किया गया है। अवैध अतिक्रमण हाल का है। याचिकाकर्त्ता द्वारा अपने आवेदन में यह भी वर्णित किया गया है कि विपक्षी सं0–06 से 08 तक अर्थात रसिद शेख, पिता–शुकर शेख, जहीद शेख, पिता–बुफला शेख एवं अजाद शेख, पिता–फकरूद्धीन शेख से प्लॉट सं0–260 एवं 229 से अवैध अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होने नहीं सुनी। प्रतिवादियों को दखल करने का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के समक्ष संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा–20 में निहित प्रावधानों के अनुरूप आर0 ई0 केस सं0 54/06–07 दायर किया गया। जिसमें अंचल अधिकारी, सरैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। परन्तु प्रश्नगत मामला	

को अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच किया गया था, एवं प्रतिवादियों के द्वारा भूमि अतिकमण के बावजूद प्रतिवादी को भूमि से बेदखल करने के बजाय कार्रवाई को छोड़ दिया गया है, जो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा–20 का उल्लघंन है। निचली अदालत द्वारा किया गया आदेश गलत है। याचिकाकर्त्ता द्वारा सही आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के अधिवक्ता के द्वारा समर्पित लिखित बहस में वर्णित किया गया है कि विपक्षी मो0 अजीज की मृत्यू हो चूकी है।

अपीलार्थी के द्वारा मो0 अजीज के स्थान पर सकीना बीबी एवं उनके पति रूस्तम शेख को प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया है, जिसे न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया है।

प्रतिवादियों के अधिवक्ता के द्वारा समर्पित लिखित बहस में वर्णित किया गया है कि उक्त प्रश्नगत भू–खण्ड बहुत पहले अपीलार्थी के पूर्वजों के द्वारा उनके पूर्वजों को दिया गया था, जिसमें बहुत पहले से आवासीय घर बनाकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते है। प्रतिवादी गरीब भूमिहीन मजदूर है। उनके पास कोई रहने का मकान नहीं है। इसलिए अपीलार्थी के पूर्वजों के द्वारा उन्हें आवास बनाने हेतु भूमि दी गई थी, जिसपर उन लोगों के द्वारा घर का निर्माण किया गया है। निचली अदालत में अंचल अधिकारी, सरैयाहाट घटना स्थल पर जाकर एवं सोलह आना रैयतों से पूछताछ करने पर पाया कि वहाँ प्रतिवादी का उक्त भूखण्ड पर मकान स्थित है, जिसमे लम्बे समय से वे अपने परिवार के साथ रह रहे है। वर्तमान में बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के द्वारा सर्वे का अंतिम प्रकाशन के स्तर पर प्रतिवादी का भूमि पर दखल को वैध पाया। तदनुसार अंतिम पर्चा जारी किया गया। अपीलकर्त्ता के द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के द्वारा उक्त मामला आपत्ति वाद सं0–13/07 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। जिसमें पारित आदेश दिनांक–10.11.2016 से अपीलार्थी के दावा को खारिज कर दिया गया। जिसमें आदेश पारित किया गया है कि "किसी आवास गृह को पक्षकार बेदखल नहीं कर सकते है। प्रतिवादी के द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।"

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सूना। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों, उपरोक्त विवेचन, अपीलकर्त्ता के आवेदन, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा समर्पित लिखित बहस का अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला प्रश्नगत भूमि पर हक, अधिकार एवं स्वत्व से संबंधित विवाद का है, जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

इस निष्कर्ष के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

07.11.13
अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

07.11.13
अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2023.11.22 11:20:02 +05:30
Location: 192.168.1.121